

लिंगदोह समिति की संस्तुति दिनांक २६ मई २००६ एवं तत्क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक २२.०९.२००६, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या सी.एम.-०८/७०-१-२०१२ दिनांक २१ मार्च, २०१२ के परिप्रेक्ष्य में

छात्रसंघ - संविधान



सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी



छात्रसंघ- संविधान

१. यह अध्यादेश सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय छात्रसंघ-संविधान-अध्यादेश कहा जायेगा।
२. यह अध्यादेश कार्यपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् प्रवृत्त माना जायेगा।
३. इस संविधान के प्रभावित होने की तिथि से पूर्व का संविधान एवं परम्पराएँ निरस्त समझी जायेंगी।
४. इस अध्यादेश में जब कि सन्दर्भ से अन्यथा उल्लेख न हो, तब तक -
 - (क) धारा का तात्पर्य छात्रसंघ-संविधान की धारा से है।
 - (ख) खण्ड का तात्पर्य छात्रसंघ-संविधान के खण्ड से है।
 - (ग) अनुच्छेद का तात्पर्य छात्रसंघ-संविधान के अनुच्छेद से है।
 - (घ) विश्वविद्यालय का तात्पर्य 'सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय' से है।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक २०/०९/२०१३ स्वीकृत तथा प्रवृत्त ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी छात्रसंघ- संविधान

१. स्थापना -

'सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय छात्रसंघ' नामक एक छात्रसंघ गठित होगा, जिसे इस संविधान में आगे संघ कहा गया है। छात्रसंघ निर्वाचन वार्षिक होंगे। यदि किन्हीं अपिहार्य कारणों से चुनाव सम्पन्न न कराया जा सके तो मनोनयन के आधार पर छात्रसंघ का गठन होगा। अन्यथा की स्थिति में उस सत्र में छात्रसंघ निलम्बित माना जायेगा।

छात्रसंघ का कोई भी पद छात्र के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है।

इस संविधान के लागू होने की तिथि से पूर्व का संविधान एवं परम्पराएँ निरस्त समझी जायेंगी।

२.उद्देश्य -

संघ के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे -

- २.१ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्राचीन आदर्शों, नैतिक मूल्यों तथा शास्त्रों की परम्परागत शिक्षा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना तथा संस्कृत-भाषा के प्रचार-प्रसार एवं विकास में सहयोग प्रदान करना।
- २.२ विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं में भ्रातृत्व की भावना और प्रजातान्त्रिक जीवनचर्या को विकसित करना।
- २.३ बौद्धिक व सांस्कृतिक जीवन, मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि तथा आध्यात्मिक आदर्शों के अनुरूप चरित्र-निर्माण करना।
- २.४ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक क्रिया-कलापों में छात्र-भागीदारी की संकल्पना करना।
- २.५ छात्रों को अनुशासित जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उस प्रसंग में ऐसे सुझाव देना, जिससे विश्वविद्यालय की सीमा एवं उससे बाहर भी छात्रों का व्यवहार संयत रह सके।
- २.६ ऐसा वातावरण बनाये रखना कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, शैक्षणिक क्रिया-कलाप शान्तिपूर्ण एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न हो सकें।
- २.७ भारतीय एवं विदेशी प्रत्येक छात्रों के साथ उदार एवं सहदय सम्बन्धों की स्थापना।

३. कर्तव्य -

संघ के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे -

३.१ ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित करना, जिसके द्वारा छात्रों का बौद्धिक विकास हो सके।

३.२ ऐसे आयोजनों को सम्पन्न करना, जिससे छात्रों में राष्ट्रीयता तथा सांस्कृतिक भावना पुष्ट हो सके।

३.३ ऐसे क्रिया-कलापों का प्रोत्तयन, जिससे संघ के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की पूर्ति हो सके।

परन्तु, यह तब, जब संघ या इसके पदाधिकारी विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे आन्तरिक प्रबन्ध या कार्य-संचालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।

४. अधिकारी -

संघ के निम्नलिखित अधिकारी होंगे -

(क) संरक्षक

(ख) उपसंरक्षक

(ग) कोषाध्यक्ष

४ (क) संरक्षक

विश्वविद्यालय का कुलपति छात्रसंघ का पदेन संरक्षक होगा।

संरक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य -

संरक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे -

४(क).१ संघ के उद्देश्यों एवं कर्तव्यों में संशोधन करना।

४(क).२ आवश्यकतानुसार संविधान में संशोधन करना।

४(क).३ अशान्ति या अनुशासन-भंग की दशा में निश्चित या अनिश्चित काल के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से संघ को स्थगित करना या भंग करना या कोई ऐसा अन्य कार्य करना, जिसको वह अनुशासन या विश्वविद्यालय के हित के लिए आवश्यक समझे।

उपर्युक्त स्थिति में संरक्षक अपनी अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की या सामान्य-सभा की बैठक भी बुला सकता है।

४(क).४ संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामान्य निरीक्षण, नियन्त्रण तथा निर्देशन।

४(क).५ कार्यकारिणी/सामान्य-सभा के प्रस्तावों को स्वीकृत करना या पुनर्विचार के लिए प्रत्यावर्तित करना अथवा अस्वीकृत करना।

४(क).६ संघ के लिए अनिवार्य या ऐच्छिक रूप में सदस्यता-शुल्क निर्धारित करना।

४(क).७ संघ के लिए दान लेना, धन-संग्रह करना और प्राप्त धन की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध एवं व्यवस्था करना।

४(क).८ संघ के निर्वाचित किसी भी पदाधिकारी के अनुचित अथवा अनुशासनहीनता का व्यवहार करने पर उससे स्पष्टीकरण लेना तथा उसके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय देना।

४(क).९ कोषाध्यक्ष, निर्वाचनाधिकारी, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के सदस्यों को संरक्षक द्वारा नियुक्त/मनोनीत करना।

४(क).१० छात्रसंघ-संविधान के अस्पष्ट लिखित होने अथवा विवादग्रस्त विषयों पर लिंगदोह समिति के संस्तुतियों को दृष्टि में रखते हुए कुलपति द्वारा अन्तिम निर्णय देना।

४(क).११ संविधान में निहित तथा आवश्यकतानुसार स्वीकृत अन्य अधिकार को आंशिक या पूर्ण रूप से छात्र-कल्याण-सङ्गायाध्यक्ष अथवा किसी अध्यापक में प्रतिनिहित करना।

४(क).१२ पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार कोषाध्यक्ष की संस्तुति पर संरक्षक द्वारा छात्रहितों से सम्बन्धित कार्यों के लिए स्वीकृत सभी यात्राओं में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी (A.C. III) का रेल-किराया तथा उसके साथ नियमानुसार अनुमन्य प्रासंगिक व्ययों को स्वीकृत करने का निर्णय लिया जायेगा। उक्त यात्रा व्यय संघ कोष से देय होगा।

४ (ख) उप-संरक्षक

छात्रकल्याण सङ्गायाध्यक्ष विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पदेन उपसंरक्षक होंगे। इनके कार्य एवं अधिकार निम्नलिखित होंगे -

४(ख).१ वह विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के सुचारू रूप से संचालन के सम्बन्ध में छात्रों के उत्तरदायित्वों के अपेक्षित निर्वहन में विशेषज्ञ तथा मार्गनिर्देशन का कार्य करेंगे।

४(ख).२ वह उन सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो समय-समय पर संरक्षक के द्वारा उनके लिए निर्धारित किये जायेंगे, और अपने कर्तव्यों के औचित्यपूर्ण निर्वहन में वह एकमात्र संरक्षक के प्रति उत्तरदायी होंगे।

४(ख).३ उप-संरक्षक निरीक्षण के लिए छात्रसंघ का कोई अभिलेख प्रस्तुत करा सकता है, यदि आलेखों के परीक्षण से उसे विश्वास होता है कि उत्तरदायी व्यक्ति/व्यक्तियों के द्वारा अधिकार का दुरुपयोग किया गया है, तो वह स्वविवेक से उन्हें अनुशासित करने के लिए कोई भी आदेश दे सकता है। उसे अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संस्तुति/निर्णय देने का अधिकार होगा, जो संघ के पदाधिकारियों तथा सम्बन्धित व्यक्तियों पर आबद्धकर होंगी।

४ (ग) कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य -

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे -

४(ग).१ संघ की सम्पत्ति की देखरेख करना और उनकी निधियों तथा विनिधानों का प्रचालन करना।

४(ग).२ संघ की कार्यकारिणी द्वारा तैयार किये गये आय-व्ययक प्रस्तावों की संवीक्षा करना और उन्हें अपनी टिप्पणी/संस्तुति के साथ (यदि कोई हो) सामान्य-सभा के समक्ष विचारार्थ रखने के लिए महामन्त्री को भेजना।

४(ग).३ यह देखना कि समस्त धन उन्हीं उद्देश्यों के लिए व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए आय-व्ययक में स्वीकृत/आवण्टित किया गया है। साथ ही प्राप्यकों को अग्रसरित भी करना।

४(ग).४ संघ की सम्पत्ति, उसकी निधियों तथा तत्सम्बन्धित अभिलेखों का उचित लेखा-जोखा रखना और सुरक्षित अभिरक्षा के लिए संघ को निर्देशित करना।

४(ग).५ कोषाध्यक्ष के पूर्वादेश के बिना रु. १००/- या उससे अधिक किसी प्रकार के धन का व्यय संघ के पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में व्ययीत धनराशि के विषय में यदि कोषाध्यक्ष सोचता है कि किया गया व्यय विश्वविद्यालय के हित के विपरीत है, तो वह उसे अस्वीकृत भी कर सकता है।

५. संघ के पदाधिकारी -

संघ के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे -

(क) अध्यक्ष

(ख) उपाध्यक्ष

(ग) महामन्त्री

(घ) पुस्तकालय-मन्त्री

५(क) अध्यक्ष -

विश्वविद्यालय में प्रविष्ट तथा मतदान के लिए अधिकृत छात्रों के सर्वाधिक मतों से निर्वाचित होगा।

५(क).१ अध्यक्ष, संघ का कार्यवाहक प्रधान होगा और संघ के उन सभी अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा (जिसके लिए उसे संविधान से प्रतिकूल निर्देश न हो) तथा सभा में कार्यप्रणाली के प्रश्न पर व्यवस्था देने का अधिकारी होगा।

५(क).२ अध्यक्ष, संघ के दोनों घटकों के प्रति उत्तरदायी होगा।

५(क).३ अध्यक्ष, संघ के दोनों घटकों में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।

५(क).४ अध्यक्ष, संघ के समारोह तथा इससे इतर विश्वविद्यालय के विशेष समारोहों या उत्सवों में आमन्त्रण का अधिकारी होगा। तथा विशेष छात्रत्व सूचक पदक (तमगा) लगाने का अधिकारी होगा।

५(क).५ अध्यक्ष, स्वयं अपने उत्तरदायित्व पर संघ की साधारण सभा तथा कार्यकारिणी की बैठक आहूत कर सकता है। वह उक्त दोनों घटकों की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

५(क).६ अध्यक्ष, संघ के दोनों घटकों की बैठक में तथा अन्य किसी सभा में असंसदीय आचरण करने वाले संघ के किसी सदस्य को बैठक एवं सभा को छोड़ने का आदेश दे सकता है। वह अपने विभिन्न सहयोगियों के बीच कार्य का निर्धारण भी करेगा।

५(ख) उपाध्यक्ष -

विश्वविद्यालय में प्रविष्ट तथा मतदान के लिए अधिकृत छात्रों के सर्वाधिक मतों से निर्वाचित होगा।

उपाध्यक्ष पद की न्यूनतम योग्यता अध्यक्ष की न्यूनतम योग्यता के समान होगी।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को उसके सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे और वह पूर्णतया अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करेगा। उपाध्यक्ष सामान्य सभा तथा कार्यकारिणी दोनों घटकों में पदाधिकारी मान्य होगा।

५(ग) महामन्त्री -

विश्वविद्यालय में प्रविष्ट तथा मतदान के लिए अधिकृत छात्रों के सर्वाधिक मतों से निर्वाचित होगा।

महामन्त्री के अधिकार एवं कर्तव्य

५(ग).१ महामन्त्री, संघ के दोनों घटकों की बैठकों में संघ के क्रिया-कलाप का विवरण प्रस्तुत करेगा, और अध्यक्ष के परामर्श से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

५(ग).२ महामन्त्री, सामान्य-सभा और कार्यकारिणी की बैठकों की कार्यवाहियों का विवरण रखेगा।

५(ग).३ महामन्त्री, अध्यक्ष के परामर्श से दोनों घटकों की पृथक्-पृथक् या संयुक्त बैठक को भी आहूत करेगा, तथा दोनों सदनों के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

५(ग).४ महामन्त्री के हस्ताक्षर से ही संघ के आधिकारिक वक्तव्य प्रकाशित होंगे।

५(ग).५ संघ के वैतनिक कर्मचारी महामन्त्री के अधीक्षण में रहेंगे। वह कार्यालय की वस्तुओं, सामग्रियों, पंजिकाओं का संरक्षण एवं क्रय-विक्रय आदि की व्यवस्था कार्यकारिणी की स्वीकृति से करेगा। परन्तु अपने उत्तरदायित्व पर रु. ५०/- तक की धनराशि को व्यय करने का अधिकारी होगा, जिसकी स्वीकृति बाद में कोषाध्यक्ष से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

५(ब) पुस्तकालय मन्त्री -

विश्वविद्यालय में प्रविष्ट तथा मतदान के लिए अधिकृत छात्रों के सर्वाधिक मतों से निर्वाचित होगा।

महामन्त्री की अनुपस्थिति में पुस्तकालय मन्त्री को महामन्त्री के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। पुस्तकालय मन्त्री दोनों सदनों में संघ का पदाधिकारी मान्य होगा।

५(च) सङ्काय प्रतिनिधि -

सङ्काय-प्रतिनिधि सङ्काय में प्रविष्ट छात्रों में से ही होगा।

सङ्काय-प्रतिनिधि सम्बन्धित सङ्काय में प्रविष्ट तथा छात्रसंघ निर्वाचन में मतदान के लिए अधिकृत छात्रों के द्वारा बहुमत के आधार पर निर्वाचित किया जायेगा।

५(छ) छात्रावास प्रतिनिधि -

छात्रावास-प्रतिनिधि सम्बन्धित छात्रावास में आवासित छात्रों में से ही होगा।

छात्रावास-प्रतिनिधि सम्बन्धित छात्रावास में नियमानुसार आवण्टन से आवासित तथा छात्रसंघ निर्वाचन में मतदान के लिए अधिकृत छात्रों के द्वारा बहुमत के आधार पर निर्वाचित किया जायेगा।

छात्रावास-प्रतिनिधि का निर्वाचन मुख्य प्रतिपालक द्वारा सम्पन्न करवाया जायेगा।

६. संघ के घटक -

संघ के निम्नलिखित दो घटक होंगे -

(क) सामान्य-सभा

(ख) कार्यकारिणी

७. सामान्य-सभा का गठन -

संघ की सामान्य-सभा में अधिकतम ५० प्रतिनिधि होंगे। सामान्य-सभा की सदस्यता के लिए ५ छात्राओं, ५ अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं, ५ मेधावी छात्र व १ खेलकूद से जुड़े छात्र/छात्रा का नामांकन कुलपति द्वारा किया जायेगा। संघ के पदाधिकारी, सभी सङ्काय प्रतिनिधि तथा छात्रावास-प्रतिनिधि सामान्य-सभा के सदस्य होंगे।

सामान्य-सभा**अधिकतम संख्या (५०)**

७.१	कुलपति द्वारा नामित	१६ (धारा ७ के अनुसार)
७.२	प्रत्यक्ष प्रक्रिया से चयनित सदस्य	०४ (छात्रसंघ पदाधिकारी)
७.३	सीमित मतदान प्रक्रिया से चयनित	नियमानुसार (सङ्काय-प्रतिनिधि,
		सदस्य
७.४	कार्यकारिणी	११

८. सामान्य-सभा के अधिकार और कर्तव्य -

सामान्य-सभा के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे-

८.१ सामान्य-सभा में संघ के सर्वोच्च प्राधिकार निहित होंगे।

८.२ सामान्य-सभा, संघ की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करेगी।

८.३ अध्यक्ष, महामन्त्री के निर्वाचन-परिणामों की घोषणा पत्र के पश्चात् १५ दिनों के अन्दर आहूत सामान्य-सभा अपनी प्रथम बैठक में इस संविधान की धारा १०.२ के अनुसार उपाध्यक्ष तथा पुस्तकालय मन्त्री को निर्वाचित करेगी, इसी बैठक में संविधान की धारा १०.२ के अनुसार कार्यकारिणी का गठन भी सामान्य-सभा द्वारा ही किया जायेगा।

८.४ कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत संघ के आय-व्यय को पारित करेगी, पुनर्विचार के लिए प्रत्यावर्तित करेगी अथवा कारण का उल्लेख करते हुए वापस करेगी।

८.५ संघ, सामान्य-सभा के नियन्त्रण में कार्य करेगा। संघ के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में संघ को चेतावनी देते हुए अपने अभिमत से संरक्षक को अवगत करायेगी।

८.६ सामान्य-सभा अन्य ऐसे कृत्य भी करेगी, जिससे संघ के उद्देश्यों की अभिवृद्धि हो।

९. कार्यकारिणी -

९.१ कार्यकारिणी का गठन- संघ की सामान्य-सभा में से अधिकतम ११ सदस्यीय कार्यकारिणी को इस प्रकार से चुना जायेगा कि इसमें छात्राओं, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं एवं मेधावी छात्र/छात्राओं के वर्ग से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाए।

९.२ कार्यकारिणी का विवरण -

क्र.सं.	पदाधिकारी/ सदस्य	संख्या
१.	अध्यक्ष	१
२.	उपाध्यक्ष	१
३.	महामन्त्री	१
४.	पुस्तकालय मन्त्री	१
५.	छात्रा	१
६.	अनुसूचित जाति वर्ग का छात्र/छात्रा	१
७.	अनुसूचित जनजाति वर्ग का छात्र/छात्रा	१
८.	मेधावी छात्र/छात्रा	१
९.	ग्विलाड़ी छात्र/छात्रा	१
१०.	सङ्खाय प्रतिनिधि	१
११.	छात्रावास-प्रतिनिधि	१

विशेष- यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य उपलब्ध नहीं होता है, तो उक्त स्थानों की पूर्ति शोध-प्रतिनिधियों के माध्यम से की जायेगी।

९.३ कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य -

९.३.१ कार्यकारिणी संघ के क्रिया-कलापों के क्रियान्वयन तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगी। अपने सदस्यों के माध्यम से संघ के उपर्युक्त कार्यों को करेगी।

९.३.२ महामन्त्री द्वारा तैयार किये गये आय-व्यय (बजट) प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी और उन्हें कोषाध्यक्ष द्वारा की गयी टीका-टिप्पणी के साथ संघ की सामान्य-सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

९.३.३ कार्यकारिणी का प्रत्येक सदस्य संघ के निर्धारित कर्तव्य के प्रति उत्तरदायी होगा।

९.३.४ कार्यकारिणी में संघ के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी विषय पर विचार किया जा सकता है, एवं उसके द्वारा पारित संकल्प महामन्त्री द्वारा सामान्य-सभा को अभिदृष्टि किया जा सकेगा।

परन्तु, इस प्रकार के पारित संकल्पों द्वारा दिये गये सुझाव एवं संस्तुतियाँ संघ की सामान्य-सभा पर आबद्धकर नहीं होंगी। किन्तु यदि उन्हें सामान्य-सभा अस्वीकार करती है, तो इसके लिए लिखित रूप से कारण का उल्लेख करते हुए कार्यकारिणी को सूचित करना आवश्यक होगा।

१०. पदाधिकारियों का निर्वाचन एवं कार्यकाल

छात्रसंघ निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा संचालित किया जायेगा।

१०.१. संघ के पदाधिकारियों का निर्वाचन प्रति वर्ष शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि से यथा सम्भव छः से आठ सप्ताह के मध्य सम्पन्न करा लिये जायेंगे। छात्रसंघ के पदाधिकारियों का कार्यकाल सत्रान्त अथवा अगले निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि में जो भी पहले हो, को समाप्त हो जायेगा।

कोई भी सदस्य पदाधिकारी नहीं रह जायेगा, यदि उसे किसी दण्डनीय अपराध के लिए दोषी सिद्ध कर दिया जाता है या विश्वविद्यालय उसे अनुशासनिक कार्यवाही में दण्डित कर देता है।

१०.१.१ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री, पुस्तकालय मन्त्री -

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री, पुस्तकालय मन्त्री का निर्वाचन विश्वविद्यालय में प्रविष्ट तथा मतदान के लिए अधिकृत छात्रों के सर्वाधिक मतों से एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा प्रत्यक्ष प्रक्रिया से किया जायेगा।

१०.१.२ सङ्खाय-प्रतिनिधि

सङ्खाय प्रतिनिधि का निर्वाचन तत्सम्बन्धित सङ्खाय में प्रविष्ट छात्रों के द्वारा किया जायेगा।

चुनाव-प्रत्याशी होने के लिए पात्रता से सम्बन्धित इस संविधान का अनुच्छेद १२ प्रतिनिधियों के निर्वाचन पर भी लागू होगा।

विश्वविद्यालय के प्रत्येक सङ्खाय में प्रविष्ट छात्रों की संख्या के आधार पर सङ्खाय-प्रतिनिधियों का चयन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा-

(१) १०० से लेकर २०० छात्रों तक - एक सङ्खाय प्रतिनिधि

(२) २०० से अधिक प्रविष्ट छात्रों के लिए प्रति २०० छात्रों पर एक प्रतिनिधि के आधार पर सङ्खाय प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण किया जायेगा।

परन्तु प्रविष्ट छात्रों की संख्या पर विचार किये बिना प्रत्येक सङ्खाय का कम-से-कम एक प्रतिनिधि अवश्य होगा।

१०.१.३ छात्रावास-प्रतिनिधि -

प्रत्येक छात्रावास से एक छात्रावास-प्रतिनिधि का निर्वाचन सीमित मतदान प्रणाली द्वारा सम्बन्धित छात्रावास में नियमानुसार आवण्टित तथा मतदान के लिए अधिकृत छात्रों के बहुमत से किया जायेगा।

चुनाव-प्रत्याशी होने के लिए पात्रता से सम्बन्धित इस संविधान का अनुच्छेद १२ प्रतिनिधियों के निर्वाचन पर भी लागू होगा।

११. मतदान करने की पात्रता -

ऐसे सभी छात्र, जो मतदाता-सूची प्रकाशन की तिथि से १५ दिनों पूर्व तक प्रविष्ट हुए हैं, और जिनका प्रवेश निर्वाचन की तिथि तक लगातार बना रहता है, जो देय शुल्क भी जमा कर चुके हैं, तथा जिनका नाम मतदाता-सूची में हो, वे सभी मतदान करने के पात्र होंगे।

संविधान की धारा १२ एवं १३ लिंगदोह समिति की संस्तुति दिनांक २६ मई २००६ एवं तत्क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक २२.०९.२००६, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या सी.एम.-०८/७०-१-२०१२ दिनांक २१ मार्च, २०१२ तथा सम्पूर्णनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक २०.०९.२०१३ द्वारा पारित निर्णय के आधार पर निर्धारित।

१२. निर्वाचन-प्रत्याशी की पात्रता-

१२.१ प्रत्याशी को विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक, नियमित संस्थागत छात्र होना चाहिए अर्थात् उसे कम से कम एक वर्ष के पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में नामांकित होना चाहिए, उसे दूरस्थ शिक्षा का छात्र, डिप्लोमा पाठ्यक्रम का छात्र अथवा व्यक्तिगत छात्र अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय का छात्र नहीं होना चाहिए।

१२.२ प्रत्याशी की आयु सीमा :

१२.२.१. स्नातक स्तर के छात्र/छात्राओं की जिनका पाठ्यक्रम तीन वर्ष है, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा, छात्र संघ चुनाव नामांकन तिथि को १७ वर्ष व अधिकतम आयु सीमा २२ वर्ष होगी, परन्तु जहाँ प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता स्नातक उपाधि है, उन पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं के लिए विधित: चुनाव लड़ने की आयु स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं के समान अर्थात् छात्रसंघ-निर्वाचन नामांकन तिथि को अधिकतम २५ वर्ष होगी।

१२.२.२. स्नातकोत्तर स्तर के छात्र/छात्राओं हेतु अधिकतम आयु सीमा विधित: छात्रसंघ-निर्वाचन नामांकन तिथि को २५ वर्ष होगी।

१२.२.३. शोध छात्र/छात्राओं हेतु चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु सीमा विधित: छात्रसंघ-निर्वाचन नामांकन तिथि को २८ वर्ष होगी।

१२.३. प्रत्याशी की नियोग्यता :

१२.३.१. ऐसे छात्र/छात्रा विधित: चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे, जो चुनाव लड़ने के वर्ष में पिछले सत्र/सत्रों का किसी शैक्षणिक बकाये (Academic carrier) के अधीन है, जैसे बैक पेपर आदि।

१२.३.२. ऐसे छात्र/छात्रा विधित: चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे जिनकी कक्षा में उपस्थिति ७५ प्रतिशत से कम होगी अर्थात् प्रत्याशी को विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष द्वारा संस्थागत छात्र/छात्रा की प्रवेश प्रविष्टि तिथि से विषयवार ७५ प्रतिशत उपस्थिति सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

१२.३.३. ऐसे छात्र/छात्रा विधित: चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे जिनका किसी आपराधिक घटना में लिप्त होने का पिछला अभिलेख होगा अर्थात् किसी अपराधिक गतिविधि के लिए छात्र/छात्रा का न तो सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण किया गया हो, और /अथवा न ही विचारण लम्बित हो, और/अथवा न ही उसे किसी अपराधिक गतिविधि के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध/दण्डित किया गया हो। इसके सन्दर्भ में प्रत्याशी को अधिकृत प्रारूप पर शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा। (यहाँ विचारण का अर्थ सक्षम न्यायालय द्वारा छात्र/छात्रा के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप-पत्र का संज्ञान लिया जाना है।)

१२.३.४. ऐसे छात्र/छात्रा विधित: चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे जिनके विरुद्ध अनुशासनहीनता के आरोप में विश्वविद्यालय प्राधिकारी/प्रॉफेटर द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी हो अर्थात् किसी छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय में किसी प्रकार के अनुशासन भंग करने के कारण विश्वविद्यालय प्राधिकारी/प्रॉफेटर द्वारा दण्डित किया गया हो।

अनुशासनात्मक कार्यवाही का अभिप्राय: उन समस्त कार्यवाहियों से है जो विश्वविद्यालय परिसर में घटित किसी घटना की शिकायत पर प्राक्टर द्वारा स्थापित की गयी हो।

१२.३.५. चुनाव में प्रत्याशी के रूप में नामांकन हेतु प्रत्याशी को प्रॉफेटर द्वारा निर्गत “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा अन्यथा की स्थिति में नामांकन पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

सामान्य कार्यवाही :

इस उपबन्ध का अभिप्राय उन कार्यवाहियों से है जिसे प्रॉफेटर द्वारा आरोपी छात्र/छात्रा को सुनवाई का अवसर देते हुए अनुशासनिक कार्यवाही को अन्तिम किया गया हो। अनुशासनिक कार्यवाही में निम्न प्रकरण आच्छादित होंगे -

(क) यदि कार्यवाही के उपरान्त छात्र के निष्कासन की कार्यवाही/अथवा निलम्बित किया गया हो।

(ख) निष्कासन की सजा कतिपय शर्तों पर स्थगित रखी गयी हो।

(ग) दोषी पाये जाने वाले छात्र/छात्रा पर चेतावनी, शास्ति अधिरोपण अथवा सम्बन्धित छात्र/छात्रा को कोई भी दण्ड दिया गया हो।

(घ) यदि छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग का दोषी पाया गया हो तथा सजा दी गयी हो, जैसे पेपर निरस्तीकरण अथवा सत्र निरस्तीकरण।

उपरोक्त परिस्थितियों में सम्बन्धित छात्र/छात्रा, छात्रसंघ चुनाव में प्रत्याशी के रूप में नामांकन के लिए अर्ह नहीं होगा।

१२.४. प्रत्याशी के चुनाव लड़ने के अवसर :

छात्रसंघ के पदाधिकारी (अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, पुस्तकालय मंत्री) पद के लिए कोई छात्र/छात्रा केवल एक बार एवं कार्यकारिणी (संकाय/छात्रावास प्रतिनिधि) पद के लिए कोई छात्र/छात्रा अधिकतम दो बार चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त कर सकेगा।

The candidate shall have one opportunity to contest for the post of office bearer, and two opportunities to contest for the post of an executive member¹.

१२.५. प्रत्याशी की आयु सीमा का निर्धारण :

१२.५.१. ऐसे छात्र/छात्रा के चुनाव लड़ने सम्बन्धी आयु सीमा की पात्रता का निर्धारण सम्बन्धित छात्र/छात्रा के हाईस्कूल अथवा तत्समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म-तिथि के आधार पर किया जायेगा।

१३. चुनाव प्रचार हेतु आचार संहिता :

- १३.१. चुनाव प्रचार कक्षाओं के चलने के समय नहीं किया जायेगा। प्रत्याशी एवं उसके समर्थक कक्षा में घुसकर प्रचार नहीं करेंगे, न ही परिसर/भवन में नारे लगाकर कक्षाओं की शान्ति भंग करेंगे। प्रत्याशी एवं उसके समर्थक कक्षा समाप्त होने के बाद उपलब्ध समय पर ही प्रचार कर सकेंगे।
- १३.२. प्रत्याशी एवं उसके समर्थकों द्वारा विश्वविद्यालय प्रांगण, छात्रावास परिसर एवं उसके बाहर लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा।
- १३.३. प्रत्याशियों द्वारा चुनाव के उद्देश्य से गाड़ियों और जानवरों का प्रयोग प्रतिबन्धित होगा।
- १३.४. किसी प्रत्याशी की चुनाव के सम्बन्ध में किसी दल की प्रतिबद्धता अथवा सम्बद्धता सार्वजनिक रूप से न तो प्रचारित/प्रसारित की जायेगी और न ही इसका प्रकटीकरण किया जायेगा।
- १३.५. प्रॉफेटर की अनुमति से ही प्रत्याशी विश्वविद्यालय परिसर में कक्षाओं के बाहर मीटिंग कर सकेंगे, लेकिन इसमें विश्वविद्यालय के संस्थागत नियमित छात्र/छात्राओं के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को आमन्त्रित किया जाना वर्जित होगा।
- १३.६. कोई प्रत्याशी अथवा उसके समर्थक ऐसे नारे नहीं लगायेंगे या प्रचार सामग्री नहीं बाटेंगे जिससे सम्प्रदायवाद, जातिवाद, या क्षेत्रवाद की भावना उभरे अथवा किसी प्रत्याशी/उसके समर्थक का चरित्र हनन हो।
- १३.७. किसी प्रत्याशी अथवा उसके समर्थक को इसकी अनुमति नहीं है कि वह कोई ऐसी गतिविधि करें अथवा उकसाये जिसके कारण प्रत्याशियों/समर्थकों/मतदाताओं/जातियों/समुदायों के मध्य परस्पर विभेद, धृष्णा अथवा तनाव की भावना उत्पन्न हों।
- १३.८. प्रत्याशियों और उसके समर्थकों द्वारा जाति, धर्म अथवा समुदाय के नाम पर वोट नहीं माँगे जायेंगे।
- १३.९. किसी भी प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के उद्देश्य से प्रिण्टेड पोस्टर, पैम्पलेट्स अथवा अन्य प्रिन्टेड सामग्री तथा बैनर के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी या उसके समर्थक मात्र हाथ से बनाये गये पोस्टरों का प्रयोग कर सकेंगे।
- १३.१०. प्रत्याशी हाथ से बनाये गये पोस्टरों का प्रयोग परिसर में केवल उन्हीं निश्चित स्थानों पर कर सकेंगे जो कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा चिह्नित किये जायेंगे।
- १३.११. कोई प्रत्याशी अथवा उसका समर्थक विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को न तो क्षतियस्त करेगा और नहीं दीवारों को खराब करेगा अथवा अन्य नुकसान पहुँचायेगा। अन्यथा ऐसी किसी क्षति के लिए समस्त प्रत्याशियों को सामूहिक रूप से अथवा पृथक-पृथक दोषी ठहराया जायेगा।
- १३.१२. किसी प्रत्याशी अथवा उसके समर्थकों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के बाहर चुनाव के उद्देश्य से जुलूस निकालना, पब्लिक मीटिंग करना अथवा अन्य किसी रूप में चुनाव प्रचार करना, प्रचार सामग्री वितरित किया जाना वर्जित होगा।
- १३.१३. चुनाव प्रचार के लिए विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं आवासीय परिसर एवं विश्वविद्यालय के बाहर किसी भवन परिसर, सार्वजनिक स्थल, राजकीय भवनों की दीवारों, बसों, टेलीव्हिजन पर लिखना, पेन्ट करना आदि पूर्ण रूप से वर्जित एवं प्रतिबन्धित होगा।
- १३.१४. विश्वविद्यालय अथवा किसी एजेंसी या व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा लगाये गये होर्डिंग को न तो रंगा जायेगा और न उस पर चुनाव प्रचार के सम्बन्ध में मत प्राप्त करने के लिए आग्रह लिखा जायेगा, न प्रत्याशी का चित्र लगाया जायेगा और न ही उसका अथवा उसके निवेदक/समर्थक इत्यादि का नाम लिखा जायेगा।
- १३.१५. चुनाव प्रचार एवं मतदान के समय किसी हथियार या वाहन का प्रयोग प्रत्याशी अथवा उसके समर्थकों द्वारा नहीं किया जायेगा। विश्वविद्यालय परिसर एवं उसके आस-पास हथियार लेकर चलना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
- १३.१६. पुरुष प्रत्याशी अथवा उसके पुरुष समर्थक महिला छात्रावासों में प्रचार के लिए नहीं जा सकेंगे। इसी प्रकार महिला प्रत्याशी या उसकी समर्थक महिला पुरुष छात्रावासों में प्रचार के लिए नहीं जा सकेंगी।
- १३.१७. प्रत्येक प्रत्याशी के चुनाव में प्रयुक्त धन की अधिकतम सीमा रु० ५००००/- (रूपये पाँच हजार मात्र) होगी।
- १३.१८. प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव परिणाम घोषित होने के दिन से दो सप्ताह के अन्दर विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के समक्ष चुनाव खर्च सम्बन्धी आडिटेड/प्रमाणीकृत लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा।
- १३.१९. विश्वविद्यालय उक्त लेखा-जोखा को प्रस्तुत करने के दो दिनों के अन्दर समुचित माध्यमों से उसे प्रकाशित करेगा, जिससे कि छात्र निकाय का कोई सदस्य स्वतंत्रतापूर्वक उसका निरीक्षण कर सके।
- १३.२०. प्रत्याशी द्वारा चुनाव सम्बन्धी निर्धारित खर्च सीमा से अधिक खर्च किये जाने एवं खर्च सम्बन्धी उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की दशा में प्रत्याशी का चुनाव स्वतः शून्य हो जायेगा।
- १३.२१. कोई भी प्रत्याशी चुनाव कार्य हेतु किसी भी बाहरी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शैक्षिक प्रांगण एवं शिक्षक आवासीय प्रांगण में नहीं लायेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर प्रत्याशी चुनाव के लिए अनर्ह हो जायेगा।
- १३.२२. सभी प्रत्याशियों को निर्धारित प्रारूप पर एक शपथ-पत्र भरना होगा कि वे उस वर्ष के छात्रसंघ चुनाव हेतु जारी की गयी आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और यदि वे आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें चुनाव से अलग किया जा सकता है अथवा उनका चुनाव निरस्त किया जा सकता है।
- १३.२३. प्रत्येक प्रत्याशी को निर्धारित प्रारूप पर एक शपथ-पत्र जो प्रॉफेटर के समक्ष तैयार किया गया हो, जो चुनाव अधिकारी के लिए निर्देशित हो, नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा कि उसका किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा कभी विचारण नहीं किया गया और /अथवा

उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला विचारण हेतु सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध/दण्डित नहीं किया गया है। उसके विरुद्ध अनुशासनहीनता के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है तथा वह किसी राजनैतिक दल का घोषित प्रत्याशी नहीं है और न ही किसी राजनैतिक दल से उसने चुनाव खर्च के लिए कोई सहायता प्राप्त की है।

- १३.२४. मतगणना के समय सम्बन्धित प्रत्याशी या उसके केवल एक प्रतिनिधि को गणना स्थल पर उपस्थित होने की अनुमति मिलेगी।
- १३.२५. सभी प्रत्याशियों को ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने में अथवा उक्साने से विरत रहना होगा जो भ्रष्ट आचरण के अन्तर्गत मानी जाती है, और मतदाताओं को रिश्त देने, उन्हें डराने, धमकाने, फर्जी मतदाताओं को जुटाने, मतदान केन्द्र से १०० मीटर के भीतर प्रचार-प्रसार करने और मतदान शुरू होने के ३६ घण्टे पूर्व सार्वजनिक मीटिंग करने से विरत रहना होगा। साथ ही साथ मतदान केन्द्र पर मतदाताओं को लाने व ले जाने हेतु संसाधन उपलब्ध कराने से विरत रहना होगा।
- १३.२६. मतदान दिवस पर प्रत्याशियों से अपेक्षित है कि शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित मतदान हेतु वे निर्वाचन अधिकारी को पूर्ण सहयोग सुनिश्चित कराये। मतदान के दिन जल को छोड़कर कोई भी खाद्य पदार्थ ठोस या द्रव्य वितरित न करें।
- १३.२७. मतदाताओं को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदत्त पास अथवा प्राधिकार पत्र के बिना मतदान केन्द्रों पर प्रवेश नहीं कर सकेगा।
- १३.२८. सभी प्रत्याशी मतदान पूर्ण होने के ४८ घण्टे के भीतर मतदान क्षेत्र स्वच्छ कराने के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे।
- १३.२९. आचार संहिता में दिये गये उपरोक्त प्राविधानों के उल्लंघन के लिए प्रत्याशी की प्रत्याशिता अथवा उसके द्वारा जीता गया पद जैसी भी स्थिति हो समाप्त कर दिया जायेगा।
- १३.३०. उपरोक्त आचार संहिता के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा १५३ ए तथा ९ ए के अन्तर्गत चुनाव सम्बन्धी अपराध से सम्बन्धित उपबन्ध भी लागू होंगे, अर्थात् धर्म, मूल, वंश, जन्मस्थान, आवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाना, और शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करना, घूस देना, चुनाव में अनुचित दबाव बनाना, फर्जी मतदान, गलत बयानबाजी, अवैधानिक भुगतान और चुनाव लेखा रखने में असफलता, (धारा १७१ ए, १७१ आई तक)।

१४. निर्वाचनाधिकारी -

संरक्षक के द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक निर्वाचनाधिकारी होगा।

१४.१ निर्वाचनाधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य -

निर्वाचन-कार्यक्रम को सम्पन्न कराने के लिए वह अपनी सहायता हेतु तदर्थ समितियों को गठित करेगा।

१४.१.२ निर्वाचनों का संचालन एवं उसकी सूचनाएँ जारी करेगा।

१४.१.३ निर्वाचनाधिकारी निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचना निर्गत करेगा।

१४.१.४ निर्वाचन सम्बन्धी सभी कार्यक्रमों का सम्पादन निर्वाचनाधिकारी करेगा।

१४.१.५ मतपत्रों की वैधता पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन-अधिकारी को होगा।

१४.१.६ निर्वाचन अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात् निर्वाचन के सभी कार्यक्रम को यथा समय सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचनाधिकारी विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी/अधिकारी एवं अध्यापक से अपेक्षित सहयोग ले सकेंगे। निर्वाचन कार्य में विपरीत आचरण करने पर किसी कर्मचारी/अधिकारी/अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संस्तुति करने का अधिकार निर्वाचन-अधिकारी को होगा।

१४.१.७ निर्वाचनाधिकारी अपने कर्तव्यों के औचित्यपूर्ण निर्वहन में केवल संरक्षक के प्रति उत्तरदायी होगा।

१५. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Cell)

१५.१. छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन होगा, यह संस्था की नियमित इकाई होगी, जिसकी प्रकोष्ठ संरचना निम्न सदस्यों को मिलाकर की जायेगी।

I. एक वरिष्ठ संकाय सदस्य

II. एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

III. पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के दो छात्र (जिसमें एक छात्र एवं एक छात्रा) सम्मिलित होंगे। ऐसे छात्रों का मनोनयन होगा जो पूर्व के अध्यापन वर्षों में शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लिये हों या सर्वोच्च योग्यता रखते हों।

१५.२ यह प्रकोष्ठ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन और आय से सम्बन्धित शिकायतों के अलावा चुनाव से सम्बन्धित सभी प्रकार की शिकायतों को सुन सकेगा।

१५.३ उक्त प्रकोष्ठ को ऐसे मामलों को सुनने की मूल अधिकारिता प्राप्त होगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अंतरिम आदेशों के अन्तर्गत अपनी कार्यवाही करेगा।

१५.४ उक्त प्रकोष्ठ उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वालों को अभियोजित कर सकेगा।

१५.५ कुलपति को ऐसे मामलों में अपीलीय अधिकारिता प्राप्त होगी और वह उक्त प्रकोष्ठ के निर्णयों की समीक्षा कर संशोधन अथवा निरस्त कर सकेगा।

१५.६ उक्त प्रकोष्ठ के सदस्य स्वंयं शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। अन्य कोई विद्यार्थी अपने नाम से चुनाव परिणाम की घोषणा के ३ सप्ताह के अन्दर उक्त प्रकोष्ठ के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकेगा व इस प्रकार दर्ज कराये शिकायत के २४ घण्टे के अन्दर उक्त प्रकोष्ठ या तो ऐसी शिकायत को निरस्त करेगा या सुनवाई प्रारम्भ करेगा।

१५.७

उक्त प्रकोष्ठ शिकायतों को निरस्त कर सकेगा यदि -

- (क) ऐसी शिकायत निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं दर्ज करायी जाती है।
- (ख) ऐसी शिकायत जो इस प्रकार का वाद हेतु उत्पन्न नहीं करता जिसके लिए कोई अनुतोष प्रदान किया जा सकता हो।
- (ग) शिकायतकर्ता को कोई चोट या क्षति नहीं पहुँची हो।

१५.८

उक्त प्रकोष्ठ द्वारा शिकायत निस्तारित/निरसित न होने की स्थिति में, उस पर सुनवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी और इसकी सूचना सम्बन्धित पक्षों को लिखित रूप से समय और स्थान सहित भेजी जायेगी।

१६. निर्वाचन पर्यवेक्षक

छात्रसंघ निर्वाचनाधिकारी द्वारा निष्पक्ष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। यदि प्रत्याशियों को आचरण संहिता/निर्वाचन प्रक्रिया में किन्हीं बिन्दुओं पर कोई शिकायत होती है तो उसे पर्यवेक्षक के संज्ञान में ला सकते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को देखने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन भी किसी को पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकता है।

१७. निर्वाचन-कार्यक्रम - छात्रसंघ निर्वाचन वार्षिक होगें तथा यथासम्भव सत्रारम्भ की तिथि से ६ से ८ सप्ताह के मध्य सम्पन्न कराये जायेंगे।

१७.१

निर्वाचन प्रक्रिया, नामांकन प्रस्तुत करने की तिथि से चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि तक अधिकतम १० दिनों में पूर्ण कर ली जायेगी। जिसमें चुनाव प्रचार की अवधि भी सम्मिलित है।

१७.२

निर्वाचन का चरणबद्ध कार्यक्रम

- | | |
|-------------|--|
| प्रथम चरण | - नामांकन |
| द्वितीय चरण | - नामांकन पत्रों एवं संलग्न अभिलेखों की जाँच |
| तृतीय चरण | - (क) नामांकन वापसी |
| | - (ख) उम्मीदवारों की अन्तिम सूची का प्रकाशन |
| अन्तिम चरण | - (क) मतदान |
| | (ख) मतगणना एवं परिणामों की घोषणा |
| | (ग) शपथ ग्रहण |

१७.३

निर्वाचनाधिकारी निर्वाचन के प्रत्येक प्रक्रम का दिनांक और समय नियत करते हुए निर्वाचन-कार्यक्रम-अधिसूचना निर्गत करेगा। अर्थात् अभ्यर्थियों के नाम, निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापस लेने हेतु अभ्यर्थियों की अन्तिम तिथि, मतदान और मतगणना के स्थान, समय और दिनांक की घोषणा करेगा।

१७.४

निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन-पत्र एक प्रस्तावक, दो अनुमोदक तथा अभ्यर्थी के स्वीकृत-सूचक हस्ताक्षर से युक्त नामांकन-पत्र ग्रहण करना एवं उस पत्र की वैधता-अवैधता घोषित करना और परावर्तन-काल के व्यतीत हो जाने पर अन्तिम रूप से निश्चित अभ्यर्थियों के नामों की घोषणा करना।

१७.५

निर्वाचनाधिकारी उन नाम-निर्देशन-पत्रों को जिसमें अपेक्षित जानकारी नहीं दी गयी होगी, या अभ्यर्थी को अन्यथा अपात्र पाया जायेगा, अस्वीकार कर देगा।

१७.६

नामांकन वापसी के पश्चात् यदि विधिमान्य नामांकन-पत्रों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों के बराबर है, तो इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

१७.७

जिस अभ्यर्थी का नामांकन-पत्र स्वीकार कर लिया जाता है, वह अपनी अभ्यर्थिता निर्वाचनाधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए निश्चित दिनांक तक वापस ले सकेगा।

१७.८

नामांकन वापसी के पश्चात् शेष प्रत्याशियों का पदवार मतपत्र तैयार किया जायेगा।

१७.९

मतदान के लिए नियत समय के ठीक पूर्ववर्ती ३६ घण्टों के मध्य निर्वाचन संचाचना/प्रचार (कन्वेसिंग) नहीं की जा सकेगी।

१८. मताधिकार -

सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के छात्रसंघ-चुनाव में मतदान का अधिकार इस संविधान की धारा ११ की शर्तों की पूर्ति करने वाले निम्नलिखित छात्रों को होगी -

१८.१

शास्त्री, आचार्य, शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, ग्रन्थालयविज्ञानशास्त्री और संस्कृतप्रमाणपत्रीय कक्षाओं के छात्र -

१८.२

नियमित शोध छात्र के रूप में पञ्चीकृत हो।

१८.३

विधितः निर्गत छात्र-परिचय-पत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्रों को मतदान के लिए मतदान अधिकारी द्वारा मतपत्र देय होगा।

१९. मतदान-प्रक्रिया -

१९.१

मतदाता को मतपत्र एवं मुहर तभी दिया जायेगा जब उसका नाम विभाग/सङ्काय के निर्वाचक-सूची में होगा। विधिवत पूरित एवं प्रमाणित पहचान-पत्र प्रस्तुत कर देगा।

१९.२

मतदाता उस व्यक्ति के नाम के सामने, जिसे वह अपना मत देना चाहता है, उसके सम्मुख निर्दिष्ट खाने में उपलब्ध करायी गयी मुहर लगाकर अपना मत देगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई निशान लगा मतपत्र अवैध माना जायेगा।

- १९.३ मतपत्र भरने के बाद मतदाता उसे निर्देशानुसार मोड़ेगा और मतदान-कक्ष में रखी मत-पेटिका में डालेगा। यदि एक से अधिक निर्वाचन एक साथ किये जा रहे हैं, तो प्रत्येक मतपत्र सम्बन्धित निर्वाचन की मतपेटी में डाला जायेगा।
- १९.४ मतदान के लिए नियत समय समाप्त हो जाने पर प्रत्येक बूथ से बूथ-प्रभारी अभिकर्ताओं के समक्ष मतपेटिकाओं को सील कराकर मतगणना के लिए निर्वाचनाधिकारी को सौंप कर उनसे रसीद प्राप्त करेगा।
- १९.५ मतदान के पश्चात् निर्धारित समय से मतपत्रों की जाँच एवं मतगणना का कार्य प्रारम्भ होगा। मतगणना समाप्ति के पश्चात् निर्वाचित प्रत्याशियों की घोषणा निर्वाचनाधिकारी द्वारा की जायेगी।
- १९.६ मतगणना के पश्चात् एक माह की अवधि तक समस्त मतपत्र निर्वाचनाधिकारी के अधिकार में सुरक्षित रहेगा।

२०. शपथ ग्रहण -

निर्वाचनाधिकारी द्वारा चुनाव-परिणाम घोषित करने के पश्चात् संरक्षक द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण कराया जायेगा।

२१. सत्रारम्भ अधिवेशन -

शपथ ग्रहण करने के पश्चात् छात्रसंघ की सामान्य-सभा का प्रथम अधिवेशन अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न होगा।

२२. संघ की सामान्य-सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकें -

- २२.१ संघ की सामान्य-सभा एवं कार्यकारिणी समिति की दो बैठकों के बीच ६० दिनों (दो माह) से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए।
- २२.२ संघ की सामान्य-सभा की प्रथम बैठक छात्रसंघ निर्वाचन परिणामों की घोषणा की तिथि से १५ दिनों के अन्दर हो जाना चाहिए।
- २३. असाधारण बैठकों की अध्यपेक्षा -**
- २३.१ संघ के दोनों घटकों के एक-तिहाई सदस्य किसी असाधारण बैठक की अध्यपेक्षा कर सकते हैं।
- २३.२ अध्यपेक्षित बैठक के लिए कम-से-कम ७२ घण्टे पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होगा।
- २३.३ अध्यपेक्षित बैठक की गणपूर्ति ४० प्रतिशत से होगी।

२४. कार्य-संचालन के लिए नियम एवं प्रक्रिया -

- २४.१ संघ की सामान्य-सभा और कार्यकारिणी समिति के कार्यसंचालन हेतु नियम और प्रक्रिया इस संविधान की धारा २२ से २४ तक के नियमों में यथावर्णित होगी।
- २४.२ यदि किसी घटक के कार्य-संचालन और प्रक्रिया-सम्बन्धी विषय ऐसे नियमों के अन्तर्गत नहीं हैं, तो इस निमित्त सभापति का निर्णय अन्तिम होगा।

२५. उप-समितियाँ

संघ की सामान्य-सभा और कार्यकारिणी समिति को यथा आवश्यक उप-समितियाँ गठित करने एवं उनके विचारार्थ विषय आवण्टित करने का अधिकार होगा। यथा-

- २५.१ शास्त्रार्थ समिति।
- २५.२ स्वयंसेवक समिति।
- २५.३ नाट्य समिति।
- २५.४ संसद संगठन समिति इत्यादि।

२६. अविश्वास-प्रस्ताव-

संघ की सामान्य-सभा में कम-से-कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा संयुक्त बैठक में छात्रसंघ पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव (यदि कोई हो) लाया जा सकता है।

(क) संघ की सामान्य-सभा अपनी संयुक्त बैठक में अविश्वास-प्रस्ताव पर उसके लाये जाने की तिथि के पश्चात्, किन्तु अधिकतम १५ दिनों के अन्दर अवश्य विचार करेगी।

(ख) अविश्वास-प्रस्ताव पारित करने के लिए सामान्य-सभा का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है।

२७. आकस्मिक रिक्तियाँ -

पदाधिकारियों की आकस्मिक रिक्तियाँ निम्नलिखित रूप से भरी जायेंगी -

- २७.१ निर्वाचन के दो माह के भीतर किसी पदाधिकारी का पद किन्हीं आकस्मिक कारणवश रिक्त होने पर सम्बन्धित रिक्त पद को भरने के लिए पुनः निर्वाचन कराया जायेगा, अन्यथा
- २७.२ अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर अथवा कर्तव्य-निर्वहन के लिए उनके असमर्थ हो जाने पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
- २७.३ महामन्त्री का पद रिक्त होने पर अथवा कर्तव्य-निर्वहन के लिए उनके असमर्थ हो जाने पर पुस्तकालय मन्त्री महामन्त्री के रूप में कार्य करेगा।
- २७.४ उपाध्यक्ष तथा पुस्तकालय मन्त्री का पद रिक्त होने पर संघ की सामान्य-सभा की बैठक में सामान्य-सभा के सदस्यों में से सभा के बहुमत से निर्वाचित सदस्य के द्वारा भरा जायेगा।

२८. कठिनाइयों का निराकरण -

- २८.१ यदि संविधान के कार्यकरण में कोई कठिनाई या उसके निर्वहन में कोई सन्देह उत्पन्न होता है, तो उस पर संरक्षक का विनिश्चय अन्तिम होगा।

- २८.२ विश्वविद्यालय-छात्रसंघ का गठन संविधान में उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति और उसमें उपबन्धित क्रिया-कलापों के कार्यान्वयन के लिए किया गया है। इसका संविधान और क्रिया-कलाप विश्वविद्यालय के पूर्णतः आन्तरिक विषय हैं तथा इससे सम्बन्धित सभी विवाद यथा उपबन्धित के सिवाय संरक्षक को सन्दर्भित किये जायेंगे। जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।
- २९. संघ की सामान्य-सभा और कार्यकारिणी समिति की प्रक्रिया और कार्य-संचालन -**
- २९.१ संघ की सामान्य-सभा और कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक को संघ की संयुक्त बैठक कहा जायेगा, जिसका सभापतित्व उपसंरक्षक या संरक्षक (कुलपति) द्वारा नामित कोई अध्यापक करेगा।
- २९.२ बैठक, पूर्व प्रस्तावित बिन्दुओं एवं कार्यक्रम की सूची के अनुसार ही चलेगी। इसमें परिवर्तन का अधिकार सभापति को होगा।
- २९.३ प्रत्येक प्रस्ताव उसी व्यक्ति द्वारा लाया जायेगा, जिसके नाम का उल्लेख है। प्रस्ताव का समर्थन भी आवश्यक होगा।
- २९.४ चर्चा में भाग लेने हेतु सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होकर सभापति को सम्बोधित करेगा, परन्तु यह तब जबकि कोई सदस्य पहले से न बोल रहा हो।
- २९.५ सभा-संचालन में यदि व्यवस्था का प्रश्न उठता है और सभापति अपने आसन पर खड़ा हो जाता है, तो वक्ता को तत्काल अपने आसन पर बैठ जाना आवश्यक होगा।
- २९.६ प्रस्ताव मतदान के लिए रख दिये जाने या किसी विषय पर चर्चा अस्वीकृत कर दिये जाने पर किसी सदस्य को किसी विषय पर बोलने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।
- २९.७ कोई भी सदस्य किसी समय यथास्थित सभापति द्वारा विनिमय के लिए व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है, किन्तु उस समय केवल अपने प्रश्न का ही उल्लेख करेगा, जब तक कि सभापति उससे उसका स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं कहते हैं। व्यवस्था के प्रश्न पर सभापति अपना निर्णय देने के पूर्व यदि आवश्यक समझता है तो अन्य सदस्यों को भी अपना विचार प्रकट करने की अनुमति दे सकता है।
- २९.८ यथास्थित सभापति व्यवस्था हेतु उठने वाले सभी प्रश्न विनिश्चित करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा। यदि वह उचित समझता है, तो व्यवस्था के किसी प्रश्न पर अपना विनिश्चय २४ घण्टे तक स्थगित कर सकता है।
- २९.९ किसी प्रस्ताव या बहस के समय कोई सदस्य कोई जानकारी या स्पष्टीकरण पर आपत्ति कर सकता है, परन्तु यह तब, जब कोई अन्य सदस्य सदन में पहले से न बोल रहा हो। ऐसा करते समय वह केवल उन तथ्यों का कथन करेगा, जिनसे किसी अन्य सदस्यों द्वारा कथन की त्रुटियाँ ठीक होती हैं।
- २९.१० कोई भी सदस्य चर्चा के समय किसी भी क्रम में समापन का प्रस्ताव रख सकता है, परन्तु यह तब, जब सदन में कोई अन्य सदस्य पहले से ही न बोल रहा हो। यदि समापन-प्रस्ताव सम्यकृतः समर्थित है और सभापति यह समझता है कि ऐसा प्रस्ताव नियमों के दुरुपयोग या उचित वाद-विवाद के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, तो सभापति समापन-प्रस्ताव पर तुरन्त मतदान करायेगा, और यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो कोई और संशोधन सम्बन्धित प्रस्ताव के उत्तर को छोड़कर अनुज्ञाकृत नहीं किया जायेगा। केवल चर्चाधीन प्रश्न पर मतदान कराया जायेगा।
- २९.११ प्रस्ताव सम्बन्धी सभी संशोधनों पर मतदान हो जाने के पश्चात् वे निस्तारित समझ लिये जायेंगे।
- २९.१२ प्रस्ताव या संशोधन पर मतदान कराये जाने से पूर्व प्रस्तावक सभापति की अनुज्ञा से उसे वापस भी ले सकता है।
- २९.१३ किसी सदस्य द्वारा माँग किये जाने पर सभापति मतदान प्रक्रिया को गुप्त मतदान द्वारा करायेगा।
- नोट-**छात्रसंघ संविधान के सन्दर्भ में किसी भी संशय की स्थिति में लिंगदोह समिति के संस्तुतियों का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

शपथपत्र-प्रारूप

सेवा में,

निर्वाचनाधिकारी,
छात्रसंघ निर्वाचन सत्र
सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी ।

मैं पुत्र/पुत्री निवासी
.....जन्मतिथि सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में कक्षा खण्ड विभाग
संकाय का छात्र/की छात्रा हूँ।

मैं छात्रसंघ के का/की प्रत्याशी हूँ। मैं पूर्ण स्वरूप मानसिक स्थिति में शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. किसी राजनैतिक दल का घोषित प्रत्याशी नहीं हूँ न ही किसी राजनैतिक दल से चुनाव खर्च के लिए कोई सहायता प्राप्त की है। वर्तमान सत्र में प्रविष्ट तथा मतदान के लिए अधिकृत विश्वविद्यालयीय छात्रों के अतिरिक्त अन्य किसी वाह्य व्यक्ति से चुनाव प्रचार में सहयोग नहीं प्राप्त करूँगा/करूँगी।
 2. छात्रसंघ संविधान में निर्वाचन हेतु निर्धारित व्यय सीमा ₹0 5000.00 (रुपये पाँच हजार मात्र) से अधिक व्यय नहीं करूँगा/करूँगी।
 3. चुनाव परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह के अन्दर व्यय विवरण प्रस्तुत कर करूँगा/करूँगी।
 4. मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चला है तथा वर्तमान में कोई आपराधिक मुकदमा लम्बित नहीं है, न ही मुझे किसी आपराधिक कृत्य के लिए दण्डित किया गया है।
 5. वर्तमान सत्र में मेरा कोई शैक्षिक बकाया (बैंक परीक्षा) नहीं है, अथवा मुझे अनुचित साधन प्रयोग में दण्डित नहीं किया गया है।
 6. मेरे विरुद्ध विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है।
 7. मैं इस विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के किसी पद का पूर्व में प्रत्याशी नहीं रहा/रही हूँ।
 8. मैं छात्रसंघ संविधान तथा लिंगदोह समिति की संस्तुतियों में निहित निर्देशों का अनुपालन करने के लिए पूर्णतया वचनबद्ध हूँ।
- यदि उपर्युक्त कथन असत्य पाया जाता है अथवा मेरे द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो मेरा निर्वाचन निरस्त कर दिया जाय। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

(1) स्थायी पता

ग्राम/मोहल्ला
पोस्ट
थाना व तहसील
जिला व प्रदेश
मोबाइल नं0

(2) वर्तमान पता

ग्राम/मोहल्ला
पोस्ट
थाना व तहसील
जिला व प्रदेश
मोबाइल नं0

नोट: यह शपथ पत्र ₹10.00 के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा जारी होगा।

